न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 1252/2017(2017/00099) दर्ज दिनांक 04.07.2017

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

संशोधित शीर्षक

रमेश चन्द्र आत्मज भैरूलाल महाजन (सुराणा) निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थी

बनाम

1. जीतमल पिता रामलाल जाट मृतक के बजाए:–
   - 1/1 रोशन पिता जीतमल जाट
   - 1/2 मदन पिता जीतमल जाट
   - 1/3 राजू पिता जीतमल जाट
   - 1/4 रेखा पुत्री जीतमल जाट
   - 1/5 कंकू पत्नि जीतमल जाट
2. गोपी पिता रामलाल जाट
3. नोसर पुत्री रामलाल जाट
4. प्रेम पुत्री रामलाल जाट
5. बिला पुत्री रामलाल जाट
6. भैरूलााल पिता लेहरू जाट
7. जमनी पुत्री लेहरू जाट
8. किशन लाल पिता भूरा जाट
9. लेहरी पत्नि भूरा जाट
10. जगदीश पिता शोभा जाट
11. जस्सु पुत्री शोभा जाट
12. नोसर पत्नि शोभा जाट

निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः श्री रीतेश सुराणा
अधिवक्ता विपक्षी (सं0 2,6,8,9,10): श्री रामेश्वर लाल जाट

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–09.10.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में त[illegible] प्रकार [illegible] प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर आवेदन किया है कि ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के [illegible] अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 6510रकबा 0.57 हे0 अन्य आराजियात के साथ [illegible] खाता संख्या 994 [illegible]त है, जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

यह है कि प्रार्थी की उक्त आराजी संख्या 6510 चारो ओर से अन्य व्यक्तियों की कृषि आराजियात से घिरी हुई है, जिसमें आवागमन का कोई निजी रास्ता नहीं है प्रार्थी अपनी उक्त आराजी में स्वयं, अपने परिवारजन एवं सिजारी सहित ग्राम सहाड़ा में स्थित सरकारी राजस्ता संख्या 6526 से लगती हुई आराजी संख्या 6507 जो गै0मु0 रास्ता होकर अन्य व्यक्तियों के खातेदारी में से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 6504 की उत्तरी पाली पर से होकर अपनी आराजी में सदैव से अपने पूर्वजों के समय से करीब 70–80 वर्षो से अधिक समय से गाड़ी, संज, बैल, पैदल, ट्रेक्टर आदि लाता ले जाता आ रहा है तथा उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की उक्त आराजी में आवागमन करने का कोई ओर रास्ता मौजूद नहीं है।

यह कि आराजी संख्या 6504 के खातेदारान विपक्षीगण ने दिनांक 25.05.2017 को जब मै प्रार्थी अपने सदैव के आवागमन के रास्ते से अपनी आराजी में प्रवेश करने लगा तो उन्होने आडे फिर रास्ता रोक दिया और पुनः इसी रास्ते से आवागमन नहीं करने बाबत् धमकी दी। जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश हेतु विवश होना पड़ा ।

यह कि प्रार्थी की अपनी उक्त आराजी में गाड़ी, संज, बैल, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवागमन करने हेतु करीब 10 फीट चौड़ाई के रास्ते की आवश्यकता है चूंकि मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी संख्या 6510 चारों ओर से अन्य व्यक्तियों की आराजी से घिरी हुई है और मौके पर अपने आवागमन का ऊपर वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिससे मुझ प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित आराजी संख्या 6510 मे आवागमन हेतु 10 फीट चौड़ाई का रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है तथा उक्त रास्ते को राजस्व रेकोर्ड में भी रास्ता दर्ज करवाया जाना उचित एवं न्यायोचित है। इस हेतु डीएलसी रेट से भूमि की कीमत विपक्षीगण को अदा करने के लिए तैयार हूँ।

यह कि उक्त आराजीयात के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी में जाने का कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए इस रास्ते की सख्त आवश्यकता है अन्यथा मै प्रार्थी अपने खातेदारी हक अधिकार एवं स्वामित्व की आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित हो जाऊंगा।

प्रार्थी ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थी का प्रार्थना – पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 6510 वाके ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 6504 की उत्तरी पाली से प्रार्थी की आराजी तक 10 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम करने हेतु प्रतिकर निर्धारण कर उसे रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के नाम प्रदान कराया जावे ।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07[illegible] को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये [illegible] के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। विपक्षी संख्या 1 के कायम मु0 1/[illegible] लगायत 1/5, 3, 4, 5, 7, 11 व 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक /राजस्व/ 18/215 दिनांक 13.04.2018 एवं 261 दिनांक 22.05.2018 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

अंतिम मौका पर्चा कमांक /राजस्व/ 18/261 दिनांक 22.05.2018 के अनुसार :–

–यह कि ग्राम सहाड़ा के आराजी नं0 6510 रकबा 0.57 हे0 पर वर्तमान में जाने हेतु आराजी नं0 6526 रकबा 0.75 हे0 किस्म गे0मु0रास्ता बिलानाम दर्ज रास्ते से उत्तर पश्चिमी आराजी नं0 6507 रकबा 0.01 हे0 किस्म गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में स्थित होकर खातेदारों द्वारा दोनों तरफ थोहर की बाड़ लगा रास्ता बंद कर रखा है।

– यह कि मौके पर आराजी नं0 6507 में आगे रास्ता बंद है।

– यह कि मौके पर विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई बिलानाम रास्ता उपलब्ध नहीं है।

–यह कि वर्तमान में उक्त आराजी नं0 6507 से आगे कुंआ की छुट में सहमति लेकर प्रवेश कर रहा है।

– यह कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते अनुसार आराजी नं0 6507 रकबा 0.01 हे0 एवं आराजी नं0 6509 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 02 रकबा 0.02 हे0 भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होगी। ग्राम सहाड़ा की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 5,24,466/– प्रति हे0 निर्धारित है जिसके अनुसार उक्त रास्ते में प्रभावित भूमि 0.02 हे0 भूमि की मालियत 10490/– रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 20980/– होती है।

–यह कि वर्तमान रास्ता, प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता, उसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया जाकर मय नकल जमाबंदी पत्र के साथ संलग्न है।

– यह कि मौके पर इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थी व विपक्षीगण के अधिवक्ता को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थी ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। तथा प्रार्थना – पत्र को चाही गई रिलिफ अनुसार स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने विपक्षी द्वारा बतायी गई आराजियात में से ही रास्ता देने हेतु निवेदन किया एवं प्रार्थी द्वारा चाही गई आराजियात में से रास्ता देने हेतु विरोध किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थी व विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा की आराजी संख्या 6510 में आवागमन करने के [illegible] मात्र न्यूनतम दूरी का रास्ता जो ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा में [illegible] रकबा 0.01 हे0 एवं 6509 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 02 रकबा 0.02 हे0 भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होती है। जो प्रार्थी की आराजी के उत्तर पश्चिमी मेड़ से लगाकर 10 फीट का रास्ता विपक्षी की खातेदारी आराजी संख्या 6507, 6509 से नजदीक एवं बिलानाम रास्ते [illegible] जुड़ा है। मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भूमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है।

3.

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी को अपनी कुषि भुमि आराजी नं0 6510 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिऐ विपक्षी की आराजी संख्या 6507, 6509 के उत्तर पश्चिमी वाली मेड़ से लगकर 10 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी की आराजी में प्रवेश हेतुयानि 0.02 हे0 भुमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा की आराजी संख्या 6510 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 6507, 6509 के उत्तर पश्चिमी दिशा वाली मेड़ से लगकर 10 फीट चौड़ाई का रास्ता यानी 0.02 हे0 भुमि प्रार्थी की आराजी में प्रवेश हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 5,24,466/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 10490/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 20980/–प्रार्थी विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 12 को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.02 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 20980/– प्रार्थी से वसुल कर विपक्षी संख्या 1 लगायत 12 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा की आराजी संख्या 6510 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 6507, 6509 के उत्तर पश्चिमी दिशा वाली मेड़ से लगकर 10 फीट चौड़ाई का रास्ता यानी 0.02 हे0 भुमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:51 IST
Reason: SelfAttested